**संख्या-403/2018/377/22-2-2018-17(437)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2** **लखनऊ दिनांक 08 मई, 2018**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हीरालाल ऊर्फ हीरा पुत्र श्री राधेश्याम वर्मा, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8397/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02-05-2017) दिनांक-07-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 07-03-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हीरालाल ऊर्फ हीरा पुत्र श्री राधेश्याम वर्मा, निवासी ग्राम-डीह, थाना-बदोसरांय, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 12-08-2001 को सायंकाल कल्लू कोरी एवं पत्नी श्रीमती शिवरती जो कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम देखने साइकिल से जा रहे थे, को रोक कर सामान्य आशय के अग्रसारण में कल्लू ऊर्फ राम केवल की बांके से हत्या कारित की गयी तथा उसकी पत्नी श्रीमती शिवरती को साधारण चोटें पहुंचायी गयीं। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 तथा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-6, बाराबंकी के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25-02-2017 तक 15 वर्ष 06 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हीरालाल ऊर्फ हीरा पुत्र श्री राधेश्याम वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हीरालाल ऊर्फ हीरा (बन्दी संख्या-14990) पुत्र श्री राधेश्याम वर्मा, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-403/2018/377(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बाराबंकी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-403/2018/377/22-2-2018-17(437)/2017
दिनांक 08 मई, 2018 का संलग्नक
सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हीरालाल ऊर्फ हीरा (बन्दी संख्या-14990) पुत्र श्री राधेश्याम वर्मा, निवासी ग्राम-डीह, थाना-बदोसरांय, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 12-08-2001 को सायंकाल कल्लू कोरी एवं पत्नी श्रीमती शिवरती जो कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम देखने साइकिल से जा रहे थे, को रोक कर सामान्य आशय के अग्रसारण में कल्लू ऊर्फ राम केवल की बांके से हत्या कारित की गयी तथा उसकी पत्नी श्रीमती शिवरती को साधारण चोटें पहुंचायी गयीं। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 तथा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-6, बाराबंकी के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25-02-2017 तक 15 वर्ष 06 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हीरालाल ऊर्फ हीरा पुत्र श्री राधेश्याम वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in